भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **878**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को प्रदान की गई उर्वरक राजसहायता

878. डॉ. के. सुधाकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 2004-2014 और 2014-2024 की अवधि के दौरान किसानों को प्रदान की गई उर्वरक राजसहायता के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसानों को उर्वरक राजसहायता प्रदान करने से रोकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय उर्वरक उद्योग के कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में उर्वरकों के मूल्य में कोई मुद्रास्फीति देखी गई है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के मूल्यों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 'उर्वरक में डीबीटी' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 2010-11 से 2024-25 तक (22.07.2024 की स्थिति के अनुसार) उर्वरकों के लिए प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण उपलब्ध है और नीचे दिया गया है:

वर्ष	राशि (करोड़ में)
2010-11	65836.68
2011-12	74569.83
2012-13	70592.1
2013-14	71280.16
2014-15	75067.31
2015-16	76537.56
2016-17	70100.01
2017-18	69197.96
2018-19	73435.21
2019-20	83466.51
2020-21	131229.5
2021-22	157640.1
2022-23	254798.9
2023-24	195420.51
2024-25 (22.07.24 की स्थिति के अनुसार)	36993.39

(ख): जी नहीं।

(ग): वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के दौरान देश में भारतीय उर्वरक उद्योग के निष्पादन से संबंधित आंकडे नीचे दिए गए हैं:

उर्वरकों का वर्ष-वार उत्पादन (आँकड़े एलएमटी में)	
वर्ष	कुल उर्वरक उत्पादन
2010-11	376.25
2011-12	387.78
2012-13	374.94
2013-14	380.46
2014-15	385.39
2015-16	413.14
2016-17	414.41
2017-18	413.61
2018-19	413.85
2019-20	425.95
2020-21	433.68
2021-22	435.95
2022-23	485.29
2023-24	503.35

(घ) से (च): किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किलो की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी है (नीम लेपन की लागत और लागू करों के शुल्क को छोड़कर)। खेत पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दर पर यूरिया की आपूर्ति की जाती है। यूरिया का एमआरपी देश के विभिन्न राज्यों में समान रूप से लागू है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है और अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। एनबीएस के तहत सब्सिडी दरें निर्धारित करते समय सरकार अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों को खरीदने के लिए किसानों की वहनीयता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखती है। मूल्यों को नियंत्रित करने और किसानों को पीएण्डके उर्वरकों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और उनके कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की निगरानी की जाती है और सब्सिडी दरों की समीक्षा आवश्यकता के आधार पर जाती है और यह समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं।

पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के अंतर्गत अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के सभी राज्यों में औसत एमआरपी कमोबेश एक समान रहा है। एनबीएस के अंतर्गत अधिसूचित प्रमुख रूप से खपत वाले पीएण्डके उर्वरकों के 50 किग्रा की बोरी का ग्रेड-वार औसत एमआरपी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**एनपीके उर्वरक ग्रेड**	**50 किलो की बोरी का औसत एमआरपी (रुपये में)**		
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**
1	डीएपी (18-46-0-0)	1250.20	1347.00	1349.68
2	एमओपी (0-0-60-0)	1166.90	1707.40	1667.86
3	एसएसपी (0-16-0-11)	354.75	501.80	626.60
4	एनपीके 10-26-26	1487.55	1488.05	1470.71
5	एनपीके 12-32-16	1436.65	1578.10	1471.98
6	एनपीके 20-20-0-13	1232.65	1402.30	1274.70

पिछले वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में प्रमुख रूप से खपत वाले पीएण्डके उर्वरक के बिक्री मूल्य से संबंधित आंकडे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

****

दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.878 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

2023-2024 के दौरान डीएपी, एमओपी, एसएसपी, 10-26-26, 12-32-16 और 20-20-0-13 के राज्य-वार औसत बिक्री मूल्य

***50 किलो की बोरी का औसत बिक्री मूल्य (रुपये में)**

राज्य	एनपीके 10-26-26	एनपीके 12-32-16	एनपीके 20-20-0-13	डीएपी (18-46-0-0)	एमओपी (0-0-60-0)	एसएसपी (0-16-0-11)
आंध्र प्रदेश	1442.88	1440.86	1158.62	1332.30	1652.63	491.08
असम	1443.45	लागू नहीं	1276.03	1331.72	1658.98	615.16
बिहार	1427.70	1448.14	1246.49	1336.58	1661.16	597.04
छतीसगढ़	1466.80	1449.83	1207.19	1337.40	1672.10	469.12
गुजरात	1462.04	1443.55	1224.38	1329.24	1654.11	542.24
हरियाणा	लागू नहीं	1421.18	1223.20	1333.38	1640.82	434.53
हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं	1422.13	लागू नहीं	1293.91	1664.12	748.41
झारखंड	1430.53	1316.21	1257.30	1331.58	1617.91	548.56
कर्नाटक	1445.79	1448.48	1197.98	1333.15	1668.89	526.57
केरल	1450.28	लागू नहीं	1218.29	1314.53	1659.09	569.07
मध्य प्रदेश	1453.27	1450.60	1210.21	1335.26	1654.74	433.99
महाराष्ट्र	1459.35	1455.69	1229.37	1338.81	1673.03	533.98
मणिपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	1368.59	1347.20	1710.93	642.24
ओडिशा	1448.31	लागू नहीं	1214.90	1336.14	1670.70	449.97
पुडुचेरी	1430.18	लागू नहीं	1176.53	1339.15	1668.24	547.17
पंजाब	1339.90	1429.94	1252.36	1324.50	1646.26	455.20
राजस्थान	1431.91	1439.85	1226.38	1337.86	1634.56	421.62
तमिलनाडु	1446.12	1428.23	1207.32	1331.26	1661.24	531.66
तेलंगाना	1440.93	1445.06	1155.20	1329.09	1645.28	518.37
त्रिपुरा	1396.62	लागू नहीं	1385.04	1304.13	1484.04	563.10
उत्तराखंड	लागू नहीं	1457.50	1242.09	1335.57	1676.66	553.62
उत्तर प्रदेश	1450.64	1456.69	1221.74	1335.63	1641.65	528.14
पश्चिम बंगाल	1411.99	1079.33	1208.59	1283.84	1569.02	540.06
मेघालय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	609.57
मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1350.00	1700.00	550.00
जम्मू एंड कश्मीर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1332.25	1665.17	746.83
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	931.34	627.71	लागू नहीं
दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1333.49	1484.00	लागू नहीं
गोवा	1446.25	1418.94	1265.20	1306.38	1639.36	लागू नहीं
नागालैंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1291.93	1700.00	लागू नहीं
दादर और नगर हवेली	लागू नहीं	लागू नहीं	1245.78	1350.00	लागू नहीं	लागू नहीं
अरुणाचल प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1300.00	170.00	लागू नहीं